डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 172] रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 अगस्त 2001—श्रावण 15, शक 1923

राजभवन रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2001

भारत के संविधान के अनुच्छेद-174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं दिनेश नंदन सहाय, राज्यपाल, छत्तीसगढ़, एतद्द्वारा विधान सभा के तृतीय सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से करता हूं.

रायपुर :

दिनांक : 6 अगस्त, 2001.

(दिनेश नंदन सहाय)
राज्यपाल
छत्तीसगढ़.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.